पत्र सं0-से0वा0अनु0 / 2061 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(सेवावाद अनुभाग)
लखनऊ // दिनॉक // नवम्बर 29 ,2010

समस्त एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर,
समस्त डिप्टी कमिश्नर,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर,
समस्त वाणिज्य क.र अधिकारी,
वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में कमिश्नर, वाणिज्य कर एवं शासन स्तर से **उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999** के अन्तर्गत विभिन्न अनुशासनात्मक कार्यवाहियॉ की जाती है जिसके विरुद्ध अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा मा0 अधिकरण के समक्ष निर्देश याचिकाएँ योजित की जाती है। मा0 अधिकरण द्वारा विभिन्न मामलों में पारित किए गए अनेक निर्णयों में यह पाया गया है कि उक्त नियमावली के अन्तर्गत संस्थित विभागीय कार्यवाही के मामलों में नामित जॉच अधिकारियों द्वारा नियमानुसार एवं विधिसम्मत् रुप से जॉच नहीं की जाती है जिसके कारण तकनीकी आधार पर दण्डादेश मा0 अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिए जाते है तथा समस्त दण्डात्मक कार्यवाही प्रभावहीन हो जाती है।

ऐसे ही एक मामले में एक वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा सहायता केन्द्र भोयापुर जिला गाजियाबाद पर तैनाती के दौरान अवैध घोषित हो चुके आयात घोषणा पत्र को पृष्ठॉकित कर देने के फलस्वरुप उनके विरुद्ध विभागीय जॉच कार्यवाही संस्थित की गई थी तथा ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) व्यापार कर सम्भाग-'ए' गाजियाबाद को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया था। ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) व्यापार कर सम्भाग-'ए' गाजियाबाद द्वारा उपलब्ध कराई गई जॉच आख्या की प्रति अपचारी अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए उनका अभ्यावेदन प्राप्त किया गया था तथा समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों के सापेक्ष कमिश्नर, व्यापार कर, के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 23-01-2007 से उक्त अधिकारी को **परिनिन्दा शास्ति** प्रदान की गई थी। उक्त के सम्बन्ध में अपचारी अधिकारी द्वारा मा0 अधिकरण के समक्ष योजित निर्देश याचिका सं0-1066/2008 **एस0एन0यादव बनाम राज्य सरकार व अन्य** के मामले में मा0 अधिकरण द्वारा निर्णय दिनॉक 04-06-2010 पारित किया गया है जिसमें जॉच अधिकारी के स्तर से की जाने वाली अपेक्षित कार्यवाही का उल्लेख करते हुए यह टिप्पणी भी की गई है कि जॉच अधिकारी द्वारा जॉच कार्य को विधि अनुसार सम्पादित नहीं किया गया है।

अत: निर्देश दिए जाते है कि मा0 अधिकरण के उक्त निर्णय दिनॉक 04-06-2010 (प्रति संलग्न) में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में भविष्य में जॉच अधिकारियों के स्तर से अनुशासनिक जॉच कार्यवाही सम्पादित करते समय स्थापित विधि एवं मा0 अधिकरण द्वारा आब्जर्व किए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जॉच कार्यवाही सम्पादित करें। यदि इस सम्बन्ध में किसी जॉच अधिकारी के द्वारा नियमानुसार जॉच न सम्पादित करना पाया जाएगा तब उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

संलग्नक :- उपर्युक्तानुसार।

29/11/10
(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 / समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को प्रति प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 (उ0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (उ0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, लखनऊ एवं ज्वाइण्ट कमिश्नर (सर्वो0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रति प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

3- समस्त एडीशनल कमिश्नर / समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।

29/11/2010
(नर सिंह)
ज्वाइण्ट कमिश्नर(सेवावाद)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

निर्देश याचिका सं०–१०६६/२००८

श्याम नरायन यादव, आयु लगभग ४३ वर्ष,
पुत्र स्व०बलिहारी यादव,वर्तमान कार्यरत वाणिज्य कर अधिकारी,
(एस.आई.बी.) मथुरा ।

.....याची

बनाम

१–उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमुख सचिव, वन विभाग,
संस्थागत वित्त (कर एवं निबन्धन)उ० प्र० शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।
२–आयुक्त, वाणिज्य/व्यापारकर, उ०प्र० विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ ।

. . .विपक्षीगण

निर्णय की प्रतिलिपि

(माननीय श्री के० जेड० खान, सदस्य (न्यायिक) द्वारा श्रुतलेखित)

याची श्री श्याम नरायन यादव द्वारा यह निर्देश याचिका राज्य लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम १९७६ की धारा–४ के अन्तर्गत विपक्षी सं०–२ द्वारा पारित प्रश्नगत दण्डादेश दिनांक २३–१–०७ संलग्नक सं०–१ जिसके द्वारा याची को परिनिन्दा का दण्ड दिया गया है तथा विपक्षी सं०–१ के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक २०–१०–०६ संलग्नक सं०–१ अ, जिसके द्वारा याची की उक्त दण्डादेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गयी को निरस्त किये जाने तथा समस्त पारिणामिक सेवा लाभ दिये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

२– याची का संक्षेप में कथन यह है कि जब वह जनपद गाजियाबाद में व्यापार कर अधिकारी ग्रेड–२ भोगापुर के पद पर कार्यरत चला आ रहा था तब उसके विरूद्ध विपक्षी सं०–२ द्वारा पारित आदेश दिनांक १०–११–०५ संलग्नक सं०–२ के द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गयी और संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) व्यापार कर, गाजियाबाद सम्भाग.ए, गाजियाबाद को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया और आदेश दिनांक १०–११–०५ संलग्नक सं०–२ आरोप पत्र के साथ याची को तामील किया गया। याची के द्वारा उक्त आरोप पत्र में दर्शाये गये साक्ष्य/अभिलेखों की प्रतियॉ उपलब्ध कराये जाने हेतु अनेकों प्रार्थना पत्र दिये जाने के बावजूद जॉच अधिकारी द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये। अन्ततः याची ने आरोप पत्र के साथ उपलब्ध कराये गये साक्ष/अभिलेखों के आधार पर आरोप पत्र का उत्तर दिनांक ०२–०२–०६ संलग्नक सं०–३ विपक्षी सं०–२ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें याची ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों से स्पष्ट इन्कार किया। याची के द्वारा आरोप पत्र का उपरोक्तानुसार उत्तर प्रस्तुत किये जाने के पश्चात जॉच अधिकारी के द्वारा याची के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के समर्थन में याची को व्यक्तिगत सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कोई तिथि, दिनांक व स्थान नियत करते हुए याची को सूचित नही किया, जब कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी अनेक व्यवस्थाओं तथा उ० प्र० सरकारी सेवक(अनुशासन एवं अपील) नियमावली,१९९९ के नियम–७ के अनुसार याची द्वारा आरोप पत्र का

उत्तर दिये जाने के पश्चात याची की व्यक्तिगत सुनवाई तथा जॉच कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु तिथि, समय व स्थान को सूचित किया जाना अनिवार्य है। जॉच अधिकारी द्वारा याची की व्यक्तिगत सुनवाई तथा जॉच कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु कोई भी समय, तिथि व स्थान की सूचना याची को दिये बिना ही विपक्षी सं०–२ के समक्ष जॉच आख्या प्रस्तुत की गयी जिसके उपरान्त विपक्षी सं०–२ के द्वारा आदेश दिनांक १–११–०६ संलग्नक सं०–४ के साथ याची को जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या उपलब्ध करायी गयी और याची से उसके अभ्यावेदन की मांग की गयी। याची के द्वारा उक्त आदेश दिनांक १–११–०६ प्राप्त करने के पश्चात अपने विस्तृत अभ्यावेदन दिनांक ११–११–०६ संलग्नक सं०–५ विपक्षी सं०–२ के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इसके उपरान्त विपक्षी सं०–२ द्वारा याची के अभ्यावेदन पर विचार किये बिना ही प्रश्नगत दण्डादेश दिनांक २३–१–०७ संलग्नक सं०–१ पारित किया जिसके द्वारा याची को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। याची ने उपरोक्त दण्डादेश से क्षुब्ध होकर दिनांक १७–३–०७ को विपक्षी सं०–१ के समक्ष अपील सं०–६ प्रस्तुत किया जो कि याची द्वारा यह याचिका प्रस्तुत किये जाने के दिनांक तक याची द्वारा वैधानिक नोटिस संलग्नक सं०–७ दिये जाने के बावजूद निस्तारित नही की गयी। याची द्वारा यह याचिका प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त याची के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपील को निरस्त करते हुए आदेश दिनांक २०–१०–०६ संलग्नक सं०–१ अ, पारित किया गया। याची का यह कथन है कि उसके विरूद्ध पारित प्रश्नगत दण्डादेश दिनांक २३–१–०७ तथा अपीलीय आदेश दिनांक २०–१०–०६ पूर्ण रूप से अगुखर आदेश है जिसमें कारणों का उल्लेख नही किया गया है। याची का यह भी कथन है कि जॉच अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या याची को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों का दोषी नही पाया गया है और उसे केवल प्रश्नगत आयात घोषणा पत्र को गम्भीरता पूर्वक नही पढ़े जाने तथा अपने दायित्वों के प्रति अपेक्षित सावधानी नही बरतने का दोषी पाया गया जब कि याची के विरूद्ध इस प्रकार उक्त आयात घोषणा पत्र को गम्भीरता पूर्वक न पढ़े जाने तथा याची को अपने दायित्वों के प्रति अपेक्षित सावधानी नही बरतने के आरोप नही लगाये गये। इस प्रकार याची को गलत तरीके से उस कृत्य का दोषी ठहराते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांक २३–१–०७ के द्वारा दण्डित किया गया है जिन कृत्यों के विरूद्ध उसके विरूद्ध आरोप नही लगाये गये थे। अतः प्रश्नगत दण्डादेश इस आधार पर भी निरस्त होने योग्य है। याची का यह भी कथन है कि अपीलीय आदेश आयुक्त, वाणिज्यकर द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर पारित किया गया है जब कि आयुक्त व्यापार कर द्वारा दी गयी उपरोक्त आख्या याची को अपीलीय आदेश पारित किये जाने के पूर्व उपलब्ध नही करायी गयी थी। अतः उपरोक्तानुसार अपीलीय आदेश पारित करने में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हुए याची को अपनी सफाई का उचित अवसर प्रदान नही किया गया। इस आधार पर भी अपीलीय आदेश निरस्त होने योग्य है।

३– विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत याचिका का प्रतिकार करते हुए लिखित कथन प्रस्तुत किया गया जिसमें कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में याची के विरूद्ध अवैध घोषित हो चुके आयात घोषणा पत्र को पृष्ठांकित कर देने के कारण याची के विरूद्ध १०–११–०५ द्वारा विभागीय जॉच कार्यवाही सारिथत की गयी तथा संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक) व्यापार कर संभाग–ए गाजियाबाद को

जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया। जॉच अधिकारी द्वारा नियमानुसार जॉच किये जाने के पश्चात अन्ततः जॉच आख्या दिनांक ३०-८-०६ विपक्षी सं०-२ के समक्ष प्रस्तुत की गयी और याची को कारण बताओ नोटिस दिनांक १-११-०६ जॉच आख्या की प्रति सहित निर्गत की गयी जिसके सम्बन्ध में याची ने अपना उत्तर दिनांक १०-११-०६ प्रस्तुत किया। इसके उपरान्त विपक्षी सं०-२ के द्वारा प्रस्तुत उत्तर जॉच आख्या और उपलब्ध साक्ष्य व अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त याची को प्रश्नगत अवैध घोषित आयात घोषणा पत्र लापरवाही पूर्वक पृष्ठांकित करने का दोषी पाते हुए प्रश्नगत दण्डादेश दिनांक २३-१-०७ के द्वारा परिनिन्दा के लघु दण्ड से दण्डित किया गया जो कि पूर्णतया विधिक एवं न्यायपूर्ण है। याची के विरूद्ध समस्त अनुशासनिक कार्यवाही उ०प्र० सरकारी सेवक(अनुशासन एवं अपील) नियमावली, १९९९ के नियम-७ के अनुसार अमल में लायी गयी और यची को अपने बचाव का पूर्ण एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। याची के विरूद्ध प्रश्नगत दण्डादेश पारित किये जाने में किसी भी प्रकार की वैधानिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि नही हुई है। याची के द्वारा प्रस्तुत यह याचिका निरस्त होने योग्य है।

४- विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन का प्रतिकार करते हुए याची की ओर से प्रत्युत्तर शपथपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें याची द्वारा प्रस्तुत याचिका में किये गये सभी कथनों की पुष्टि करते हुए पुनः यह कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में याची के विरूद्ध उ० प्र० सरकारी सेवक(अनुशासन एवं अपील) नियमावली,१९९९ के नियम-७ का उल्लंघन करते हुए जान्च कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रश्नगत दण्डादेश पारित करने में अनुशासनिक अधिकारी द्वारा मस्तिष्क का प्रयोग नही किया गया और याची द्वारा प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार होने योग्य है।

५- पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा याची के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की बहस सुनी गयी।

६- याची ने प्रस्तुत याचिका में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि याची के द्वारा आरोप पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने के पश्चात जॉच अधिकारी द्वारा याची को व्यक्तिगत सुनवाई याची के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के समर्थन में साक्ष्य लिए जाने हेतु तथा अन्य जॉच कार्यवाही किये जाने हेतु कोई भी तिथि, समय व स्थान नियत कर याची को उसकी जानकारी नही दी गयी और जॉच अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार जॉच किये बिना ही जॉच आख्या प्रस्तुत कर दी गयी। विपक्षीगण ने अपने लिखित कथन में याची के उपरोक्त कथन से इन्कार करते हुए इस तथ्य का उल्लेख नही किया गया है कि याची के द्वारा आरोप पत्र का उत्तर दिये जाने के पश्चात जॉच अधिकारी द्वारा याची को व्यक्तिगत सुनवाई, याची के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के समर्थन में साक्ष्य लिये जाने तथा याची को अपने बचाव एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु जॉच अधिकारी द्वारा तिथि, समय व स्थान नियत कर याची को सूचित किया गया और तदोपरान्त जॉच कार्यवाही अमल में लायी गयी। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत दण्डादेश दिनांक २३-१-०७ संलग्नक सं०-१ व अपीलीय आदेश दिनांक २०-१०-०९ संलग्नक सं०-१ अ, में भी इस तथ्य का उल्लेख नही किया गया है कि याची द्वारा आरोप पत्र का उत्तर दिये जाने के पश्चात जॉच अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार जॉच कार्यवाही किये जाने हेतु कोई तिथि, समय व स्थान नियत कर याची को उसे सूचित किया गया था और तदनुसार

Sd/-

जॉच कार्यवाही अमल में लायी गयी। इस प्रकार यह स्वीकृत तथ्य माना जायेगा कि याची व्द। आरोप पत्र का उत्तर दिये जाने के पश्चात स्वीकृत रूप से जॉच अधिकारी व्दारा याची की व्यक्तिगत सुनवाई तथा अन्य जॉच कार्यवाही अगल में लाये जाने हेतु कोई तिथि , समय व स्थान नियत कर याची को सूचित नही किया गया और जॉच अधिकारी व्दारा याची की अनुपस्थिति में ही जॉख्या प्रस्तुत कर दी गयी। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने (२००६(२७)एल.सी.डी.१३०) कमला चरन मिश्रा बनाम उ० प्र० सरकार व अन्य में यह स्पष्ट व्यवस्था दी है कि यदि अनुशासनिक जॉच कार्यवाही वृहद्ध दण्ड दिये जाने हेतु नियमित प्रकिया के अनुसार आरम्भ की जाती है तो उस स्थिति में सम्पूर्ण जॉच कार्यवाही वृहद्ध दण्ड दिये जाने हेतु नियमित प्रकिया के अनुसार सम्पन्न किया जाना आवश्यक होता है चाहे अनुशासनिक अधिकारी व्दारा अन्ततः लघु दण्ड दिया गया हो। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उक्त व्यवस्था के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में भी जॉच अधिकारी को सम्पूर्ण जॉच कार्यवाही वृहद्ध दण्ड दिये जाने हेतु नियमित प्रकिया के अनुसार अगल में लाते हुए याची के व्दारा आरोप पत्र का उत्तर प्रस्तुत किये जाने के पश्चात जॉच हेतु तिथि, समय व स्थान नियत कर याची को सूचित किया जाना आवश्यक था, परन्तु जॉच अधिकारी व्दारा ऐसा नही किया गया। अतः याची के विरूद्ध अमल में लायी गयी सम्पूर्ण जॉच कार्यवाही उ० प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,१९९६ के नियम–७ के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए अगल में लायी गयी और इस आधार पर उक्त जॉच कार्यवाही पर आधारित प्रश्नगत दण्डादेश दिनांक २३–१–०७ संलग्नक सं०–१ तथा अपीलीय आदेश दिनांक २०–१०–०६ एक साथ निरस्त किये जाने योग्य है।

७– प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि जॉच अधिकारी व्दारा याची से मौखिक **सुनवाई नही की गयी और याची को** किसी भी गवाह से प्रतिपरीक्षण करने तथा अपनी सफाई में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय व्दारा (२००८(२६)एल.सी.डी.४६१) सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव बनाम उ० प्र० राज्य सरकार व अन्य में यह स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि वृहद्ध दण्ड हेतु अगल में लायी जा रही जॉच कार्यवाही के दौरान आरोपित कर्मचारी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये जाने, गवाहों से जिरह करने का अवसर दिये जाने तथा अपनी सफाई में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना अनिवार्य होता है और यदि जॉच अधिकारी व्दारा ऐसा नही किया गया है तो सम्पूर्ण जॉच कार्यवाही अवैधानिक मानी जायेगी एवं इस प्रकार की जॉच कार्यवाही पर आधारित दण्डादेश निरस्त किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि जॉच अधिकारी व्दारा याची से व्यक्तिगत सुनवाई नही की गयी और गवाहों से जिरह करने तथा अपनी सफाई में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया है। अतः माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में याची के विरूद्ध अमल में लाई गयी जॉच कार्यवाही अवैधानिक है और इस जॉच कार्यवाही के आधार पर पारित प्रश्नगत दण्डादेश दिनांक २३–१–०७ व अपीलीय आदेश दिनांक २०–१०–०६ संलग्नक सं०–१ अ, एक साथ निरस्त किये जाने योग्य है।

5— याची पर तामील किये गये आरोप पत्र संलग्नक सं०–२ के अवलोकन से स्पष्ट है कि याची को आरोप सं०–१ के अनुसार अवैध घोषित हो चुके आयात घोषणा पत्र को पास करने के फलस्वरूप सम्बन्धित व्यापारी को करापवंचन में सहयोग करने का तथा राजस्व की भारी क्षति पहुँचाने के दोषी होने के आरोप से आरोपित किया गया है तथा आरोप सं०–२ के अनुसार याची को उक्त अवैध घोषित आयात घोषणा पत्र को पृष्ठांकित करने में निष्ठा एवं कर्त्तव्य परायणता से कार्य नही किये जाने के दोष से आरोपित किया गया है, जब कि जॉच अधिकारी व्दारा याची को आरोप सं०–१ के सम्बन्ध में मात्र उक्त अवैध आयात घोषणा पत्र को गम्भीरता पूर्वक नही पढ़े जाने तथा अपने दायित्व के प्रति अपेक्षित सावधानी नही बरतने के लिए आंशिक दोषी पाया गया तथा आरोप सं०–२ के सम्बन्ध में याची को मात्र अपने कार्य में सावधानी न बरतने के लिए आंशिक दोषी पाया गया। जॉच अधिकारी व्दारा उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष भी निकाला गया है कि सन्दर्भित घटना के पीछे याची की कोई कदाशयता नही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याची को जॉच अधिकारी व्दारा जिस दुराचरण का दोषी पाया गया उस दुराचरण के सम्बन्ध में याची के विरूद्ध आरोप नही लगाये गये और याची के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये थे वह सिद्ध नही पाये गये। माननीय उच्चतम न्यायालय ने (२००६)५ एस.सी.सी.८८) एम० वी० विजलानी बनाम यूनियन आफ इण्डिया में यह स्पष्ट व्यवस्था दी है कि किसी आरोपित कर्मचारी के विरूद्ध अमल में लायी गयी जॉच कार्यवाही के फलस्वरूप उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपो में दर्शाये गये दुराचरण से भिन्न दुराचरण का दोषी नही ठहराया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि याची के विरूद्ध सिद्ध पाये गये दुराचरण के सम्बन्ध में याची के विरूद्ध आरोप नही लगाये गये थे। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार याची को जॉच अधिकारी व्दारा सिद्ध पाये गये दुराचरण के सम्बन्ध में दण्डित किया जाना पूर्ण रूप से अवैधानिक है और तदनुसार पारित दण्डादेश दिनांक २३–१–०७ निरस्त किये जाने योग्य है।

६— अपीलीय आदेश दिनांक २०–१०–०६ संलग्नक सं०–१ अ, और प्रश्नगत दण्डादेश दिनांक २३–१–०७ के साथ ही निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलीय आदेश स्वीकृत रूप से आयुक्त, वाणिज्य/व्यापारकर के व्दारा प्रस्तुत आख्या पर आधारित है। आयुक्त व्दारा प्रस्तुत उपरोक्त आख्या याची को अपीलीय आदेश पारित किये जाने से पूर्व सूचित नही की गयी और याची को उक्त आख्या के सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर भी नही दिया गया था। अतः अपीलीय आदेश दिनांक २०–१०–०६ इस आधार पर भी निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि याची के विरूद्ध पारित प्रश्नगत दण्डादेश दिनांक २३–१–०७ संलग्नक सं०–१ एवं अपीलीय आदेश दिनांक २०–१०–०६ संलग्नक सं०–१ अ, निरस्त किये जाने योग्य है और याची सारतः पारिणामिक लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है और याचिका तदनुसार होने योग्य है।

आदेश

यह याचिका उपरोक्त संप्रेक्षण के अनुसार स्वीकार की जाती है। याची के विरुद्ध पारित प्रश्नगत दण्डादेश दिनांक २३–१–०७ संलग्नक सं०–१ वह अपीलीय आदेश दिनांक २०–१०–०६ संलग्नक सं०–१ अ, निरस्त किये जाते हैं। याची उपरोक्त दण्डादेश व अपीलीय आदेश के निरस्त किये जाने के परिणाम स्वरूप समस्त सेवा सम्बन्धी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। पक्षकार अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

[redacted]

(के० जेड० खान)
सदस्य(न्यायिक)

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उदघोषित किया गया।

[redacted] 5-6-10

(के० जेड० खान)
सदस्य(न्यायिक)

दिनांक: ५ जून, २०१०.
पंकज/–

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित 11/06/2010

11/6/10